Mr. Speaker: The result of the division is: Ayes 89, Noes 30.

श्री मधु लिमये : मेरा फिर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : नोट कर लिया जाए ।

The motion was adopted.

Shri Braj Raj Singh-Kotah (Jhalawar): I have pressed the wrong button.

14.17 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RAILWAYS (EMPLOYMENT OF MEMBERS OF THE ARMED FORCES) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to make certain provisions relating to the employment of members of the Armed Forces of the Union in the working and management of railways, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, the Bill now before this House was actually introduced in the last session on the 24th of September but for want of time it could not be passed. In view of the emergency, an Ordinance was promulgated and the Bill has now been brought forward.

This Bill has got five clauses. Clause 1 gives the title of the Bill and clause 2 says that it extends to the whole of India, including Jammu and Kashmir.

When Armed forces personnel are inducted for the assistance of the railway administration, they do not actually come under the definition of the railway servants and we have experienced some difficulties because they do the duties and responsibilities but are not given the protection under the Railway Act of 1890. Clause 3 of the Bill gives them such protection. Since they do not come under that definition according to the Act of 1890, naturally they could not handle railway property or give instructions. These difficulties had been encountered and so this clause had been introduced providing that the Armed Forces personnel when they are sent for the assistance of the railway administration come under the Railway Act with this proviso that so far as Chapter VIA is concerned, it does not apply to them when they are so inducted. Chapter VIA of the Indian Railways Act, 1890 deals with certain hours of work and periods of rest for various categories of personnel. So far as this chapter is cncerned, it does not apply to the armed forces, although they come under this clause, namely, clause 3. Also, so far as the discipline and control of the armed personnel are concerned, the Railways Act does not apply to them. That is also covered now in clause 3.

In regard to clause 4, when it becomes necessary in an emergency for the army to take over certain sections of the railway, then these Armed forces personnel so inducted will come under the Army Act for the duration of the emergency. The Railways Act does not apply to them. That is the substance of clause 4.

A new clause—clause 5—has been added to the Bill by way of an amendment. It is because, in view of the emergency and because of the fact that this Bill could not be passed during the last session an ordinance was promulgated, and as an amendment, clause 5 has been introduced.

These are the two or three important clauses of the Bill.

Then, there is an amendment to the effect that at page 1, lines 6 and 7 may be omitted. Then, at page 2, after line 29, the following words be added:

> "'5.(1) The Railways (Employment of Members of the Armed Forces) Ordinance, 1965 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 29th day of September, 1965".

So, these have been added after clause 4.

One or two spelling mistakes which have been found have also since been corrected. There is a corrigendum; the first one is, on page 2 line 17, for "constructed" read "construed". The other is, on page 2, line 21, for "goverance", read "governance".

The Bill is a very simple one; and there is no controversy. Actually, this is meant to regularise what is exactly happening also. In the last emergency, we also inducted some territorial army troops into the railway administration and not only there will be territorial army units but sometimes the regular army units will also have to be sent for the assistance of the railways. When any emergency breaks out, a great strain is placed upon the railways, and being an important means of communication, we have got to transport troops and equipment and so many other goods and also patients by the railways. These provisions are, therefore, necessary. So, in view of these things, this Bill has been brought forward for consideration of the hon. Members. I hope hon. Members will have no difficulty in accepting this Bill.

Regarding amendments, there is an amendment by Shri Krishnapal Singh.

Mr. Deputy-Speaker: We will take it up later.

Dr. D. S. Raju: Yes, Sir. So, I commend the Bill for the consideration of the House.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to make certain provisions relating to the employment of members of the Armed Forces of the Union in the working and management of railways, be taken into consideration."

Two hours have been allotted.

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है वह एक इन्तजामिया बात है । हमारे देश में एक संकट की स्थिति है । हमारी सरहदों पर हमले हुए, हमारी सेना ने जिस बहादुरी से और जिस मजबूती से देश की आजादी और देश की सरहदों को बचाया है उस की मिसाल नहीं मिलती । इस सदन में और इस सदन के बाहर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक ग्रुप्स हैं, उन सब ने भारत की सेना के बहादुर सिपाहियों और अफसरों की जो कारंबाई है, जो बहादुरी उन्होंने दिखलाई है उस की जगह जगह पर दाद दी है ।

मैं पंजाब के उस क्षेत्र से आया हूं जिसका आधे से ज्यादा भाग मैदाने जंग बना हुआ है । यह बदकिस्मती की बात है कि उसका एक हिस्सा आज भी पाकिस्तानी फौजों के नीचे है । पंजाब के रहने वाले लोगों ने इस लड़ाई में जो काम किया है, उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस बिल के जरिये जो इन्तजामिया बात इस हाउस के सामने रक्खी गई है वह सिर्फ इतनी है कि हमारे अफसर या सिपाही हमले के दौरान अपने देश की रेलवे लाइनों को, रेलवे स्टेशनों को, रेलवे लाइनों के ऊपर बने हुए पुलों को और जो रेलवे के गोदाम हैं, उन की सुरक्षा के लिये, उन को चलता रखने के लिये, जरूरत पड़ने पर अपने कंट्रोल में रख सकें । ऐसा करने में उन के रास्ते में पहले एक रुकावट थी, और वह यह कि रेलवे ऐक्ट के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, खवाह वह किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जब तक वह रेलवे कर्मचारी न हो उस काम को नहीं सम्भाल सकता था । इस बिल के जरिये हमारी सरकार ने उस

[श्री बूटा सिंह]

रुकावट को दूर किया है अपने फौजी भाइयों के सिलसिले में।

जहां तक बिल का सवाल है, यह एक इन्तिजामिया बात है। इमर्जेन्सी में जो भी बात या इन्तजाम देश की सुरक्षा के लिये रेलवे लाइनों को चलता रखने के लिये, रेलवे स्टेशनों को चलता रखने के लिये, किये जायें उन सब में हर एक व्यक्ति का, हर एक पार्टी का समर्थन सरकार को प्राप्त है। हम इस इन्तजाम का अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी समर्थन करते हैं। मगर इसका समर्थन करते हुए कुछ बातें, जो मैं आप के जरिये मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, यह हैं :

(1) पंजाब की जनता ने रेलवे लाइनों की हिफाजत के लिये अपने-अपने गांवों में, अपने-अपने शहरों में, सिविल डिफेन्स फोर्स से आगे बढ़ कर जो काम किया है उस की मिसाल पठानकोट जालन्धर लाइन पर मिलेगी, उस की मिसाल लुधियाना फीरोजपुर लाइन पर मिलेगी, उस की मिसाल अमृतसर पठानकोट की लाइन पर मिलेगी,। हमारे बहादुर किसानों ने अपने हाथों में लाठियां ले कर पूरी-पूरी रात पहरा दिया है अपनी रेलवे लाइनों पर और जहां कहीं छातधारी लोग उतरे हैं वहां बगैर किसी फौज या पुलिस की मदद के उन को पकड़ा है उन को अपने खेती के काम में मुश्किल भी आई और अपनी जान भी उनको देनी पड़ी, फिर भी उन्होंने अपनी रेलवे लाइनों को बचाया है। इस के लिये मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं इस के लिये मेरी मांग यह है कि जहां कहीं गांवों में रेलवे लाइनों के उपर जिन लोगों का पहरा लगाया जाता है उन को डिप्टी कमिश्नर के जरिये असला दिलाया जाये। जब सरकार रेलवे लाइनों को और स्टेशनों को फौज के हवाले करने जा रही है तो यह बात निहायत जरूरी हो जाती है कि लोगों को असला दिया जाये। उन को अपनी जान और रेलवे लाइनों को बचाने के लिये जो जरूरी असला है वह जरूर मुहैया करना चाहिये ताकि न सिर्फ वह रेलवे को बचा सकें बल्कि दुश्नम को मार कर अपनी जानें भी बचा सकें।

(2) हमारे रेलवे कर्मचारियों ने अमृतसर, गुरदासपुर, अटारी, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का सैक्शन में जो काम किया है उस के लिये मैं उन को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मजदूरों ने अपनी ड्यूटी की प्रवाह न करते हुए, ओवरटाइम की परवाह न करते हुए अपने रेलवे स्टेशनों को इस तरह सम्भाला है जैसे कि वह अपने घर की जायदाद हो। मैं चाहता हूं कि उन को वार टाईम अलाउंस या किसी ऐसी चीज की जो कि उन का हौंसला बढ़ाये कुछ सुविधायें दी जायें। उन को असला दिया जाये और उन के घरों की हिफाजत का इन्तजाम किया जाये जो कि चौबीस घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। इस तरह से यह काम और भी तसल्लीबख्श हो सकता है।

उपाध्यक्ष जी, जंग के दौरान मैं ने ही नहीं, पंजाब के बहुत से मेम्बरान ने रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे जो इम्पार्टेंट स्टेशन हैं जैसे लुधियाना, जालंधर, गुरुदासपुर, अमृतसर, फीरोजपुर, वगैरह उनके ऊपर एंटी एयर क्राफ्ट गन्स लगनी चाहिये। इन स्टेशनों पर से सारी सारी रात हमारी सेनाएं, सेना के असलाह और सेना के लिए खुराक जाती थी। पाकिस्तानी हवाबाज रात के वक्त हमले करते थे पर इन स्टेशनों के बचाव के लिये पूरा-पूरा इन्तजाम नहीं था। मुझे खुशी है कि अब ऐसी सहूलियत मुहैया कर दी जाएगी और जब स्टेशनों की जिम्मेवारी फौज पर आवेगी तो वह आयन्दा हमले की सूरत में इन स्टेशनों पर बचाव के लिए एंटी एयर क्राफ्ट गन्स जरूर लगाएगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिन रेलवे कर्मचारियों ने जंग के दौरान अपनी जानें कुरबान कर दीं, मैं खास कर अटारी स्टेशन, अमृतसर स्टेशन, फीरोजपुर स्टेशन

और गुरदासपुर स्टेशन के नाम लेना चाहता हूं, जहां रोजाना गोलाबारी होती थी, जहां के कर्मचारियों ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटियां निभायीं। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सैनिक बहादुरों को उनका हौसला बढ़ाने के लिये कुछ इनाम और पुरस्कार दिए जाते हैं उसी तरह इन रेलवे कर्मचारियों को भी कुछ इनाम मिलने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका विरोध किया जाए। इससे हामारें जो सैनिक भाई हैं उनका सीधा सम्पर्क जनता से होगा। लेकिन मैं आप से एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं, वह यह है कि जंग के दिनों में पंजाब के लोगों ने जिस तरह फौजी भाइयों को गाड़ियों के अन्दर खाना, चाय और दूध, मिठाई रात के वक्त अंधेरे में, जब कि न गाड़ियों में लाइट होती थी न स्टेशन पर लाइट होती थी, दिए, ऐसी हालात में अपने बहादुरों की जिस तरह जनता के लोगों ने राशन के मामले में और दूसरी तरह पूरी-पूरी देखभाल की है, उसी तरह से हमारे फौजी भाइयों को रेलवे कर्मचारियों ने सुविधाएं पहुंचायीं। इन्होंने पंजाब के रेलवे स्टेशनों को पाकिस्तान के हमले के बावजूद चलते रखा। उन सब कर्मचारियों को कुछ न कुछ पुरस्कार देना चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से यह बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से रेलवे लाइन्स के ऊपर पहरा देने के लिये कहा जाए, उन को असलाह दिए जाएं, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। हमारे गांवों में रेलवे लाइनों को बचाते हुए लोगों के ऊपर बम भी गिरे थे, मगर न उनके इलाज का कोई प्रबन्ध था और न किसी ने जाकर उनसे पूछा कि क्या हुआ, न उनके लिये कोई वहां डिसपेंसरी थी। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के लिये भी सरकार को सुविधायें देनी चाहिए। जो सिविलियन रेलवे का प्रोटेक्शन करने में जख्मी होते हैं या मरते हैं उनका प्रबन्ध भी सरकार को करना चाहिए। यही मेरी निवेदन है और इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे कर्मचारियों को और रेलवे विभाग को इस युद्ध काल में रेलवे परिवहन का उचित प्रबन्ध करने के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

साथ ही साथ मैं इस बिल का स्वागत इसलिये भी करता हूं कि शायद यह पहला बिल है जो सारे भारतवर्ष पर लागू होगा। अब तक प्रासीज्योर यह रहा है कि जो विधेयक इस सदन में उपस्थित किया जाता था उसमें जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ दिया जाता था। यह पहला बिल है जिसको सारे हिन्दुस्तान पर लागू करने की बात कही गयी है।

श्री बड़े (खारगोन) : काश्मीर में रेलवे नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : जम्मू में रेलवे है, आपको मालूम होना चाहिये।

श्री बड़े : अभी नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस प्रकार इस बिल द्वारा हमारे बीच में और जम्मू काश्मीर के बीच में जो छोटी सी दीवार थी वह आज समाप्त होती है। मैं डिफेंस मिनिस्टर को यह नई बात करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक के मुख्य तीन भाग हैं। पहला भाग तो यह है कि जो रेलवे सरवेंट डिफेंस के सिलसिले में रेलवे पर काम करें उनको वही स्टेट्स दिया जाए जो कि आर्म्ड फोरसेज को दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो 1890 का रेलवे ऐक्ट है उसका एप्लीकेशन इस सम्बन्ध में नहीं हो सकता, और तीसरे यह कि यह बिल

[श्री रघुनाथ सिंह]

सन् 1942 के आर्डिनेन्स 53 के अनुसार होगा ।

इस विधेयक की आवश्यकता थी । हमारे रेलवे कर्मचारियों को जो कि डिफेंस का काम करते हैं वही सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें जो कि डिफेंस के कर्मचारियों को होती हैं ।

इसी के साथ मैं रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहता हूं कि परिवहन का एक छोटा सा अंग शिपिंग भी है । इस प्रकार का एक विधेयक शिपिंग के वास्ते भी लाया जाना चाहिये । अगर किसी अवस्था में हमारी नेवी, मरचेंट नेवी को या उसके आदमियों को, कप्तान को, इंजिनियर आदि को अपने काम के लिये ले तो उनको भी वे ही सुविधाएं मिलनी चाहियें जो कि इस विधेयक द्वारा रेलवे कर्मचारियों को दी जाने वाली हैं । मैं आशा करता हूं कि मरचेंट नेवी के कर्मचारियों के प्रति भी इसी प्रकार का विधेयक ला कर न्याय किया जाएगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस युद्ध ने एक और बात साबित की कि हमारा सड़क परिवहन किस प्रकार उपयोग सिद्ध हो सकता है और किस प्रकार युद्ध में हमारे ट्रक चलाने वाले और प्राइवेट ट्रक कैरियर मदद कर सकते हैं । जो लोग डोगराई, स्यालकोट आदि स्थानों को देखने गये उन्होंने वहां प्राइवेट कैरियरर्स के ट्रकों को बिल्कुल भस्म हुआ पाया । इन लोगों ने भी अपनी जान पर खेल कर सेवा की । मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार की सुविधाएं रेलवे कर्मचारियों को दी जा रही हैं वैसी ही सुविधायें रोडवेज के कर्मचारियों को और प्राइवेट ट्रकों पर काम करने वालों को भी दी जाएं यदि वे रक्षा के काम में लगाए जाएं । क्योंकि इनका उपयोग भी सुरक्षा के लिए किया जाता है इसलिये इनको भी वे ही सुविधायें दी जानी चाहियें जो कि आप रेलवे कर्मचारियों को देने जा रहे हैं । रोडवेज के कर्मचारी भी सरकार के नौकर हैं । अगर इन कर्मचारियों से आप रक्षा के सम्बन्ध में काम लें तो इनको भी समान सुविधाएं देनी चाहियें ।

हमारे यहां तीन प्रकार के परिवहन हैं, जल परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन । इन तीनों के लिए एक सा ही कानून होना चाहिये और खास कर शिपिंग के वास्ते क्योंकि जब एक जहाज पर गोला गिरता है तो वह समाप्त ही हो जाता है । और आपकी नेवी को, नैवी ऐक्ट के अनुसार अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर मरचेंट नेवी का या उसके कर्मचारियों का उपयोग कर सकती है । इसलिये उसके वास्ते भी ऐसा एक विधेयक लाया जाना चाहिये ।

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): Sir, I would have been happy if the hon. Deputy Minister of Defence, while moving for consideration of this Bill, had just taken a little care to make it clear that this Bill should not be interpreted by anybody or should not give the impression to anyone in this country that there has been some sort of a deficiency in the services rendered by the regular railwaymen during any emergency or crisis and therefore, it is necessary to bring forward this Bill that under certain circumstances, members of the armed forces might have to be put in charge of duties which are normally done by railwaymen. As far as I can understand, the essence of this Bill is that in cases where the members of the armed forces have to be inducted for doing those duties which are normally done by railwaymen, they should be treated as railwaymen and the Railways Act passed three-quarters of a century ago should be

applied to them. It should not give that impression, because that is not the intention of the government either. This debate should have been used for the purpose of making it clear that whatever demands were made upon our regular railwaymen during this recent crisis, they have more than amply discharged them and given a glorious example of how patriotic workers can fulfil their duties under the most difficult circumstances, and it is not due to any deficiency on their part that this Bill is being brought forward.

We know from reports that in one station—the small Gadra station in Rajasthan—due to enemy bombing, 11 railwaymen were killed. We have already heard how they have discharged their duties under difficult circumstances in other border stations along the Punjab boundary and Rajasthan and Gujarat.

The other thing I wish to say is the minister has not at all made it clear what is the great necessity for this Bill just now. There seems to be some confusion and I don't think my friend, Shri Buta Singh, took the trouble of looking into the Bill very carefully, if I may say so. This Bill does not purport to provide for armed forces to do the work of guarding or protecting railway installations as members of the armed forces. Certainly, armed forces can be put to that use wherever it is necessary, but that has nothing to do with the provisions of this Bill. The provisions are very explicit: Occasions may arise when members of the armed forces have to be employed to assist the railway administration in manning the railways. If members of the armed forces are employed simply to patrol or guard railway lines or installations, it has nothing to do with this Bill. Certainly in such circumstances, they will not be treated as railwaymen, I take it. This Bill deals with occasions when they are employed on what are regular railway duties.

I am told by the railway ministry that at this moment there are not less than 16,700 officers and men of the railways who are recruited in the Territorial Army and serving there with military training. As you know, perhaps, during World War II, in this country when the British Government was here, every railwayman was given military training in the Territorial Army and he continued to perform the normal functions of a railway worker. Time was given to him in between his duties to take military training as a member of the Territorial Army. Even now there are 16,700 railwaymen who are on the Territorial Army. They may not all be in active service. Some have gone on active service and the lien on their jobs is kept. When the need arises, when the emergency is over, they can go back to their original jobs. Mr. Ram Subhag Singh told me that during the recent crisis at places like Ferozepore, Fazilka and so on, about 1000 railwaymen who were in the Territorial Army were sent on active service to man the railway installations and assist in running the railways there. The Deputy Minister also made a reference to it briefly. So, if at any stage it becomes necessary for men who have had military training—that is the only respect in which we can say members of the armed forces are necessary to be inducted in a certain crisis—to assist the railway administration in manning the railways, why should not priority be given first to these thousands of railwaymen who are in the Territorial Army and therefore have got a double advantage. They have both military training as Territorials as well as being railwaymen themselves who have been operating the railways for years together. So, I am not yet convinced of the necessity of this Bill at all.

The minister said, if regular armed forces people are brought to run the railways and if they are not treated as railway servants, this Act would not apply to them, they may not have any protection. But what is the pro-

[Shri Indrajit Gupta]

tection given to railwaymen in that 1890 Act? I had a look into it and I find the only section in the whole Act which could be described in any sense of the term as a protection to railwaymen is precisely the chapter from which they are specifically exempted now—Chapter VIA which purports to give some protection to railwaymen in respect of limitation of their hours of employment. Naturally, during a war or an emergency like what we have nobody wants that that limitation of working hours should be rigidly followed in the case of armed personnel alone, even the regular railwaymen never asked to be worked under the normal limitation of duty hours. They have worked round the clock—for 24 hours—not caring for anything. But as a matter of principle, I am pointing out that Chapter VIA is the only chapter in the 1890 Act which gives them anything like a protection and this Bill says:

> "Nothing in sub-section (1) shall be construed as making applicable to members of the Armed Forces of the Union employed to assist a railway administration the provisions of Chapter VIA."

So, how does the minister say that unless the 1890 Act is applied to them, they will not be protected?

In Chapter VIA itself, there are certain categories who are excluded from limitation of hours of employment, namely "armed guards or other personnel subject to discipline similar to that of the Armed Police Forces". So, Armed Police and quasi-military personnel have been exempted from this protection of limitation of hours even under the 1890 Act. In that Act itself, another exemption is made under section 71(c) (4).

> "Temporary exemptions may be made in any emergency which could not have been foreseen or prevented."

There is that blanket provision. Here too, an emergency takes place and we could not foresee it or prevent it. Then, even under the provisions of the original Act, Government has got ample power to exclude these people from the protection of Chapter VIA. I am not opposing this Bill, but I am not able to understand what is e necessity of this Bill and what we are gaining out of this, because they have already got trained military people to come and assist in running the railways. As I said, there are 16,000 to 17,000 railwaymen in the Territorial Army and they can be treated as railway servants when they work on the railways.

It has been made clear in this Bill that if it becomes necessary for the Armed Forces to take over completely a particular railway line or section, in that case this will not apply and they will be treated as Armed Forces personnel. I am just thinking when such a thing will take place. One contingency we can think of from recent experience is when it takes place on enemy territory. For example, our armed forces on the Jammu-Sialkot front, as you know, drove the enemy back and took over complete possession of quite a stretch of a particular railway line, from Sialkot to Pasrur. From a report, which I had the good fortune to read, a very interesting report, by Shri M. L. Dwivedy, which has been circulated to all Members today, I think, regarding the visit of some Members of Parliament to that particular sector, I find that they have described how they went to this place where the railway line was under occupation of our armed forces and our jawans with a good sense of humour offered the Members of Parliament railway tickets telling them that with that they could go up to Rawalpindi, Peshawar or any

other place that they liked to go but that the trains were not running and only the office was there in tact. But supposing we were in a position to actually operate the railway along a certain stretch of land in the enemy territory for military purposes, would this Act or any other Act apply? When we are operating an enemy's railway, which was the property of an enemy and was on enemy's soil, I do not think any Act would apply. I do not think constitutionally any piece of legislation adopted by this legislature would operate in such cases outside or beyond the confines of India.

An hon. Member: It is in Indian territory now.

Shri Indrajit Gupta: If it is in Indian territory, of course, such a contingency may arise where all the railwaymen are not to be found, they have all run away.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): Such a thing can never happen.

Shri Indrajit Gupta: That is why I am hesitating to suggest such a thing which we cannot contemplate at the moment at all, where all the railwaymen go out and the armed forces will have to take over the whole line and run it. I am not able to follow. If it was necessary to have people who are railwaymen and also with some military training, as I have said, we have ample reserves in the Territorial Army to be called upon.

Therefore, Sir, I wanted to raise these points for my own clarification. I think this is a very confusing Bill. It certainly gives no protection to anybody. That is the last explanation I would have chosen, which the Minister brought forward as his main explanation. If he would kindly clear up some points and make it clear as to what is the dire necessity of this Bill, I would be very grateful. Though I am not inclined to oppose the Bill, I do think that this is rather a confusing and badly drafted Bill.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : श्रीमन्, जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा हम चाहते हैं कि इमर्जेंसी और युद्ध के समय, असाधारण और संकट-काल में हमारे सैनिकों को वही सुविधाएं, साधन और प्रतिष्ठा दी जायें, जो कि इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 के अन्तर्गत हमारी रेलवेज के कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

युद्ध का इतिहास यह स्मरण दिलाता है कि जब कभी दो राष्ट्रों में युद्ध होता है, तो सब से पहले एक दूसरे के यातायात को भंग करने का प्रयास किया जाता है। हर एक देश की ओर से यह प्रयत्न किया जाता है कि ऐसी स्थिति में रेलवेज और सड़क का यातायात ठीक समय पर और अबाध गति से चलता रहे। इस के विपरीत दुश्मन का टारगेट यह होता है कि रेलवेज और रोड के साधनों को अस्त-व्यस्त कर दिया जाये। जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, यह आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र में, जहां युद्ध हो रहा हो—और उस क्षेत्र में भी, जहां युद्ध न हो रहा हो—दुश्मन की इस हरकत को बड़ी गम्भीरता और सतर्कता के साथ देखा जाये और इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाये कि कहीं हमारे पुल, सड़कें या रेलवे लाइन न तोड़ दी जायें। गुरिल्ला युद्ध पद्धति और घुसपैठियों से भी अपने यातायात के साधनों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। काश्मीर में जो घुसपैठिये आ गये, यदि उन की गतिविधियां और बढ़ जातीं, तो वे देश के दूसरे स्थानों में भी पहुंच कर हमारे यातायात के साधनों को अस्त-व्यस्त कर सकते थे।

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

इसलिये इमर्जेंसी और युद्ध की स्थिति में इस बात की सब से बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है कि हम अपने यातायात को समुचित ढंग से व्यवस्थित रखें, ताकि दुश्मन कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही न कर सके। इस लिये इस प्रावधान के द्वारा हम अपने सैनिकों को वही साधन, सुविधा और प्रतिष्ठा देने जा रहे हैं, जो रेलवेमैन को प्राप्त होते हैं। हम को इस प्रावधान का स्वागत करना चाहिये।

हमारे जवानों ने जिस जवांमर्दी, शौर्य और पराक्रम से देश की रक्षा की है, वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। उन के पराक्रम से देश में एक नई चेतना आई है। उस ने संसार में हमारे देश को एक नया सम्मान दिया है और इस का श्रेय हमारे सैनिकों को है।

मैं एक संसदीय दल के साथ सियालकोट क्षेत्र में गया था। हमारे कोर कमांडर ले० जे० डन ने कहा कि हम 4 तारीख को माउंटिड डिविजन ले कर वहां पहुंचे और 7 तारीख को 11 बजे पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित एक स्थान महाराजके पर आक्रमण किया। उस समय हमारा टारगेट यह था कि हम सियालकोट-पसरूर रेलवे लाइन को तोड़ दें और इस प्रकार सियालकोट और पसरूर की यातायात व्यवस्था को नष्ट कर दें और हम इस में सफल हुए। इसी तरह उस क्षेत्र का सड़क का यातायात तोड़ दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 7 तारीख को 11 बजे आक्रमण हुआ और करीब आठ ही दिनों में पाकिस्तान के पांच सौ गांवों पर हमारे सैनिकों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के यातायात-साधनों को नष्ट करने का परिणाम यह हुआ कि हमारे सैनिकों को सुविधा मिल गई और वे आगे बढ़ते गये।

वहां पर एक इलाका पगवाल है, जहां टैंकों की टैंकों से, बन्दूकों की बन्दूकों से और आदमी की आदमी से लड़ाई हुई। हमारी स्ट्रेटेजी में, हमारे युद्ध के चक्रव्यूह में सब से पहले इस बात को प्रधानता दी गई कि हम उस क्षेत्र की रेलवे लाइन पर कब्जा कर लें, ताकि शत्रु को कुमक पहुंचनी बन्द हो जाये। इस सम्बन्ध में हमारे जवानों ने बड़ा काम किया।

जब हम अल्हार स्टेशन पर पहुंचे तो चार गज की दूरी पर हम ने पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। हम अपने जवानों को वहां देख कर बहुत आह्लादित हुए और हम ने उन को साधुवाद दिया। हम को उस पाकिस्तानी स्टेशन पर रेलवे के टिकट दिये गये और ब्रिगेडियर भटनागर ने हमें कहा कि अगर आप चाहें, तो आप सियालकोट या पाकिस्तान के उस स्थान में भी जा सकते हैं, जहां हम ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि रेल नहीं चलेगी। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा कि शायद भारतीय रेल चलेगी।

हमारे जवानों ने बड़े पौरुष और शौर्य के साथ उस स्थान पर आक्रमण किया और उस रेलवे लाइन पर कब्जा किया। इस बारे में पाकिस्तान ने बार-बार यह कहा कि भारत की तरफ से मिथ्या प्रोपेगेंडा होता है, यह उस का प्रलाप है, हमारे एक इंच रेलवे ट्रैक पर भी भारतीय सैनिकों ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें कहा कि यह पाकिस्तान की बकवास है, वह झूठ बोलता है, पाकिस्तान के बहुत बड़े ट्रैक पर भारत का कब्जा है।

हमारे जवानों ने जो कुछ काम किया, उस के लिए तो हमें साधुवाद देना ही है लेकिन इस के साथ-साथ युद्ध के समय

रेलवेज और रेल कर्मचारियों ने जिस पटुता, कौशल, धीरज और अनुशासन के साथ काम किया, उस के लिए हम उन्हें भी बधाई देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कोर कमांडर ने यह भी कहा कि जहां तक यातायात की सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमारे सिविलियन ट्रक ड्राइवर ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह आर्मी के नियमों और अनुशासन के विरुद्ध है कि सिविलियन ट्रक ड्राइवर्ज को युद्ध के क्षेत्र में बुलाया जाये और काम करने दिया जाये, लेकिन आपरेशन्ज के टाइम में युद्ध-सामग्री को ठीक समय पर पहुंचाने के लिए सिविलियन ट्रक ड्राइवर्ज ने जो काम किया, उस के लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। हम समझते हैं कि सामान्य रूप से या एमरजेंसी के समय में आप अगर सैनिकों की सेवायें लेते हैं ट्रक की रक्षा करने के लिए या पुलों की रक्षा करने के लिए तो भी उनको पूरी-पूरी सुविधायें मिलनी चाहियें। कभी ऐसा भी मौका आ सकता है कि युद्ध की गम्भीरता को देख कर पूरी की पूरी रेलवे लाइन को ले लें और अपने कब्जे में कर लें। ऐसे अवसरों पर जितनी भी सुविधायें दे सकें देने का जो आपने प्रावधान किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि ठीक समय पर आपने उनको सुविधायें देने का प्रस्ताव किया है और मैं चाहता हूं कि इस बिल को आप तुरन्त पास करवा दें।

---

15 hrs.

MOTION RE. REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMISSION—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House shall now take up further consideration of the motion moved by Shri Yashpal Singh about the Backward Classes Commission.

श्री मौर्य (अलीगढ़): तेरह बरस के बाद यह इतनी बड़ी समस्या विचारार्थ आई है। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, इसको बढ़ा दिया जाये। इस समस्या के भारीपन को देखते हुए जो समय रखा गया है वह बहुत ही कम है।

Mr. Deputy-Speaker: How much time does the House want? Two hours have been allotted out of which one hour and fifteen minutes are left. Shall I extend it by another two hours?

श्री मौर्य: कम से कम आठ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए। संबन्धित मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Not two days. We will extend it by two hours.

श्री यशपाल सिंह (कैराना): 28 करोड़ जनता से इसका सम्बन्ध है। इसके लिए समय बहुत कम रखा गया है। यह बढ़ना चाहिये।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास): बहुत लोगों का इससे सम्बन्ध है रिपोर्ट भी बहुत महत्व की है। आई भी यह काफ़ी दिनों के बाद है। समय बहुत कम दिया गया है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: What does the hon. Minister say? Some hon. Members want 8 hours and some 2 hours.

Shri A. S. Saigal (Janjgir): Two hours.

The Minister of State in the Ministry of Law and Department of Social Security (Shri Hajarnavis): Two hours would be sufficient.

Mr. Deputy-Speaker: I will extend it by three hours.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मुझे भी इसके बारे में कुछ अर्ज करना है। यह जो कमिशन है इसकी नियुक्ति